संख्या:35/2018/1082जेएल/22-3-18-100(44)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2018***

विषय: जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन महिला बंदी मीरा देवी पत्नी श्री कालीचरन दूबे को उपचार हेतु जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18407/सामा-1(5)बं0चि0धना0-महिला बंदी मीरा-जि0का0फैजाबाद/2018, दिनांक 21-05-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जेल मैनुअल के प्रस्तर-128, सपठित-409ए में निहित प्राविधान के अनुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध विचाराधीन महिला बंदी मीरा देवी पत्नी श्री कालीचरन दूबे को उपचार हेतु जिला कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त महिला बंदी का उपचार के0जी0एम0यू0, लखनऊ में पूर्ण होने के उपरान्त उसे पुन: जिला कारागार, फैजाबाद में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:35/2018/1082जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद/लखनऊ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद/लखनऊ।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद/लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in